प्रेषक, **संख्या-** 12/2015/ **1073/60-3-15-एल0सी0-3/15**

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा,

निदेशक,
महिला कल्याण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 18 मई,2015**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य समाज कल्याण परिषद के अधीन महिला आश्रय सदन की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के पत्र संख्या-73/म0क0नि0, दिनांक-12.05.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत महिला आश्रय सदन के संबंध में होने वाले व्यय हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) धनराशि स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अन्य किसी नये मदों में नहीं किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का आहरण करके उसका भुगतान उ0प्र0, महिला कल्याण निगम को किया जायेगा। संबंधित बिल निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त अनुदान वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-5, भाग-5 के अध्याय-16 (क) मे उल्लिखित उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

2. इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-103-महिला कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-07-राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद के अधीन महिला आश्रय सदन की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या- 1073(1)/60-3-15, तदद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, मथुरा/सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा/जिला प्रोबेशन अधिकरी, मथुरा।
(8) वित्त (आय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।